



51 Years of Glory

समझौता-ज्ञापन

वर्ष 2021-22

Memorandum of Understanding

Year 2021-22

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट
कॉर्पोरेशन लिमिटेड

तथा

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

Housing and Urban Development
Corporation Limited

and

Ministry of Housing & Urban Affairs
Government of India



हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

Housing and Urban Development Corporation Limited
(Central Public Sector Enterprise)

एमओयू 2021-22 : हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एकल)

क्र.सं.	मापदण्ड	इकाई	अंक	(2020-21) के लिए अनुमानित	उत्कृष्ट आदर्श परिचालन	लक्ष्य 2021-22
1.	प्रचालनों से राजस्व	रु.करो इ में	5			8589
2.	परिसंपत्ति कारोबार अनुपात	%	5			9.67
3.	राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीटीडीए	%	10			31.61
4.	निवल मूल्य पर प्राप्ति	%	10			14.26
5.	प्रयुक्त पूंजी पर प्राप्ति	%	5			9.85
6.	बाजार पूंजीकरण-बीएसई वित्त सूचाकांक पर शेयरों की कीमत में सुधार	%	15			5.00
7.	कुल उपलब्ध निधियों के प्रति संवितरित ऋण	%	20			96.63
8.	कुल ऋणों पर अतिदेय ऋण	%	10			6.50
9.	कुल ऋणों पर एनपीए	%	10			0.35
10.	समरूप रेटिंग वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपकर्मों/संस्थाओं की तुलना में बांड्स के माध्यम से निधि अर्जित करने की लागत (रीयूटर्स पर मार्जिन)	बीपीए स	10			-3.22
		कुल	100			

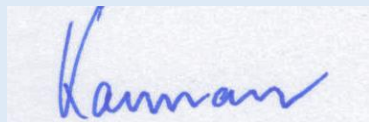
टिप्पणी :

- सभी लक्ष्य, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लेखापरीक्षित खातों पर आधारित है ।
- उपलब्धियों के लिए प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा बताए गए लक्ष्यों पर भी विचार किया जाता है ।
- कुल उपलब्ध निधियों के प्रति संवितरित ऋण के मापदण्डों, कुल ऋणों के प्रति बकाया ऋण, कुल ऋणों के प्रति एनपीए की उपलब्धियाँ और निधि अर्जित करने की लागत को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सीपीएसई की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित किया जाना है ।
- 50% से 100% तक के लक्ष्यों के प्राप्त करने के लिए आनुपतिक अंक ।
- 50.00% से कम लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कोई भी अंक नहीं हैं ।
- मापदंड संख्या 6 के मामले में, सीपीएसई द्वारा उपलब्धि के आधार पर आनुपातिक रूप से अंक आवंटित किए जाएंगे और 50% उपलब्धि से कम के लिए शून्य अंक का उपबंध इस मापदंड के लिए लागू नहीं किया जाएगा।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 की उपलब्धियों को पहचानने के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक/सांविधिक लेखापरीक्षकों की मात्रात्मक योग्यताओं को राजस्व/ लाभ/अधिशेष में अधिक दर्शाने या लाभ/हानि में कम बताने की दशा में समायोजित किया जाना है

एमओयू 2021-22 : हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एकल)

वर्ष 2021-22 के लिए के अनुपालनात्मक मापदण्ड

क्र.सं.	मापदण्ड	अंक	स्रोत/सत्यापन
1.	जेम पोर्टल से कुल खरीद का 25%: (जेम के अनुसार वर्ष के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद)/(संबंध पोर्टल द्वारा विगत वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद) *100	-2	जेम और संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
2.	चयनित मामलों में डीपीई दिशानिर्देश (i) वेतन संशोधन के लिए सीपीएसई की लाभ प्रदत्ता की समीक्षा और वेतन संशोधन दिशानिर्देश (ii) व्यय प्रबंधन के आर्थिक उपाय और व्यय का आनुपातिककरण (iii) सुगम्य भारत अभियान पर दिशानिर्देश (सुगम्य भारत अभियान) (iv) प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के क्रियान्वयन के दिशानिर्देश (v) सीपीएसई द्वारा सीएसआर खर्च पर समय-समय पर जारी दिशानिर्देश ।	-2	सीएजी रिपोर्ट इत्यादि के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
3.	कॉर्पोरेट संचालन पर कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों (अथवा सेबी(एलओडीआर) की सूचीबद्ध इकाइयों के मामले में बताए गए नियमों) का अनुपालन जैसे : (i) निदेशक मंडल का संयोजन (ii) बोर्ड समितियाँ (लेखा समिति इत्यादि) (iii) बोर्ड की बैठक बुलाना (iv) संबंधित पक्ष लेन-देन (v) प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता	-3	सीएजी/सांविधिक/सचिवीय लेखापरीक्षक रिपोर्ट(एस) के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
4.	डीआईपीएम/नीति आयोग द्वारा बताएं गए लक्ष्य : (i) लाभांश भुगतान (ii) परिसंपत्ति मुद्रीकरण उपलब्धियाँ (iii) विशेष विनिवेश उपलब्धियाँ	-2	डीआईपीएम/नीति आयोग से पुष्टि के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
5.	सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उद्यमों को समय से खरीद एवं भुगतान (संबंध पोर्टल के अनुसार वर्ष के दौरान सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उद्यमों से वस्तुओं और सेवाओं की 25% तक की खरीद(अनु.जा./अनु.ज.जा. के सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उद्यमों से 4% और महिलाओं के सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उद्यमों से 3% की खरीद शामिल))/(संबंध पोर्टल के अनुसार वर्ष के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद)	-2	संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
6.	सीपीएसई में मानव संसाधन के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा में सुधार के लिए उठाए गए कदम एवं पहलें (प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा सुझाए गए लक्ष्य)	-1	प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा पुष्टि



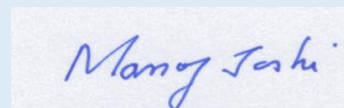
श्री कामरान रिज़वी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

लि.(हडको)

दिनांक: 27.1.2022



श्री मनोज जोशी

सचिव

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

भारत सरकार

दिनांक: 27.1.2022

MoU 2021-22 : Housing & Urban Development Corporation Ltd. (Standalone)

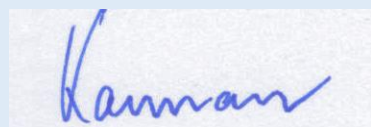
S.No.	Name of Parameter	Unit	Weightage	Estimates for (2020-21)	Best of Legacy performance	Targets MoU 2021-22
1	Revenue from Operations	Rs.Crore	5			8589
2	Asset Turnover ratio	%	5			9.67
3	EBTDA as a percentage of Revenue	%	10			31.61
4	Return on Net Worth	%	10			14.26
5	Return on Capital Employed	%	5			9.85
6	Market Capitalization-Share Price improvement over BSE Finance Index	%	15			5.00
7	Loans disbursed to Total Funds Available	%	20			96.63
8	Overdue loans to Total loans	%	10			6.50
9	NPA to Total loans	%	10			0.35
10	Cost of raising funds through bonds as compared to similarly rated CPSEs/entities (Margin over Reuters)	bps	10			-3.22
	Total		100			

Notes:

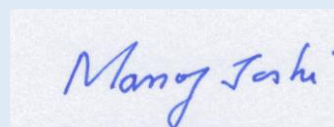
1. The targets are based on audited accounts for FY 2020-21
2. Vision provided by the Administrative Ministry is also considered for benchmarking
3. Achievement for the parameters of Loans disbursed to Total funds available, Overdue loans to Total loans, NPA to Total Loans and Cost of raising funds to be confirmed based on Annual Report of CPSE for FY 2021-22
4. Proportionate marks for achievement of 50% to 100% targets
5. No marks for achievement below 50% of targets
6. In case of parameter no.6, the marks will be assigned proportionately based on the achievement by the CPSE and the clause of zero marks below 50% achievement will not be applicable for this parameter.
7. In working out achievements for FY 2021-22, quantified qualifications of CAG/Statutory Auditors to be adjusted in case of overstatement of Revenue/Profit/Surplus or understatement of Loss/Deficit

MoU 2021-22 : Housing & Urban Development Corporation Ltd. (Standalone)
Compliance Parameters for 2021-22

S.No	Parameter	Marks	Source/Verification
1.	25% of Total Procurement from GeM portal: (Procurement of goods and services through GeM portal during the year as per GeM) / (Total procurement of goods and services during the previous year as per Sambandh portal) *100	-2	Administrative Ministry on the basis of GeM portal and Sambandh portal
2.	DPE guidelines on select matters (i) Pay Revision guidelines and Review of profitability of CPSEs for pay revision (ii) Expenditure Management Economy Measures and Rationalisation of Expenditure (iii) Guidelines on Accessible India Campaign (Sugamya Bharat Abhiyan) (iv) Guidelines on implementation of the Apprenticeship Act, 1961 (v) Guidelines issued from time to time on CSR expenditure by CPSEs.	-2	Administrative Ministry on the basis of CAG Reports etc.
3.	Compliance of provisions in the Companies Act,2013(or SEBI (LODR) regulations in case of listed entities) on Corporate Governance such as : (i) Composition of Board of Directors (ii) Board Committees (Audit Committees etc.) (iii) Holding Board Meetings (iv) Related Party Transaction (v) Disclosures and Transparency	-3	Administrative Ministry on the basis of CAG/ Statutory/ Secretarial Auditor Report(s)
4.	Target as given by DIPAM/ NITI Aayog: (i) Dividend Payout (ii) Assets Monetization Milestones (iii) Specific disinvestment Milestones	-2	Administrative Ministry on the basis of confirmation from DIPAM/ NITI Aayog
5.	Procurement and timely payment to Micro Small and Medium Enterprises (25% of Procurement of goods and services through MSEs(including 4% from SC/ST MSEs and 3% from Women MSEs) during the year as per Sambandh Portal/(Total procurement of goods and services during the year as per Samband Portal)	-2	Administrative Ministry on the basis of Sambandh portal
6.	Steps and initiatives taken for Health & Safety improvement of Human Resources in CPSEs (Target to be prescribed by the Administrative Ministry)	-1	Confirmation by the administrative Ministry



Shri Kamran Rizvi
Chairman & Managing Director
Housing & Urban Development
Corporation Limited (HUDCO)
Date : 27.1.2022



Shri Manoj Joshi
Secretary
Ministry of Housing & Urban Affairs,
Government of India
Date : 27.1.2022

To Enhance Quality of Life

**Reform, Perform
& Transform**



Urban Transformation
Shaping India's Vision



कोर-7ए, हडको भवन, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

दूरभाष: 24649610-23, फैक्स: 24625308

HUDCO BHAWAN, INDIA HABITAT CENTRE, LODHI ROAD, NEW DELHI-110003

TEL:24649610-23,FAX:011-24625308